

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 20/07/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 20/07/2023 को सुबह 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, यूपी सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय अतिरिक्त वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (v) सत्य विजय वर्मा, आईई, यूपीपीसीबी, नौएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नौएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कार्यसूची को क्रमवार मंजूरी दी गई। समिति के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 07/07/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

07/07/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 07/07/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) एलीट बास्केट प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक व्यापार इकाई स्थापित करना

2.1 श्री कुशाग्रा तिवारी, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि वे केसर, पिस्ता, छुआरे आदि के व्यापार के लिए 2015 से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि केसर और हींग विशेष आर्थिक क्षेत्र में उनके व्यवसाय के केंद्र के मुख्य उत्पाद होंगे।

2.2 आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं जिन्हें सुधार के लिए पत्र दिनांक 18/07/2023 के माध्यम से आवेदक इकाई को सूचित कर दिया गया है:

- i. फॉर्म-एफ के कॉलम VI(बी) में धन के स्रोत का कोई उल्लेख नहीं है।

सुरेंद्र मलिक

- ii. परियोजना विवरण में निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता 300 वर्ग मीटर है जबकि फॉर्म-एफ में इसे 100 वर्ग मीटर बताया गया है।
- iii. संयंत्र एवं मशीनरी/पूँजीगत वस्तुओं के लिए कोई अनुमान नहीं दिया गया है।
- iv. अन्य मेंहदी पाउडर का आईटीसी (एचएस) कोड 33051099 दिया गया है। हालांकि, सीबीआईसी के अनुसार यह शैम्पू से संबंधित है। इसलिए, मेंहदी पाउडर का सही एचएस कोड दिया जाना आवश्यक है।
- v. आवेदक ने कहा है कि फॉर्म-एफ में प्रस्तावित वस्तुओं के लिए उल्लिखित 'अन्य' का तात्पर्य साबुन-नट्स और कच्ची मेंहदी से है, जबकि फॉर्म-एफ में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) केसर स्टिग्मा (09102010), (ii) पुष्प-केसर (09102020), (iii) प्राकृतिक गोंद, हींग (13019013), (iv) सुगंधित रसायनों और आवश्यक तेलों के मिश्रण को इत्र के आधार के रूप में व्यापार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी: कृत्रिम इत्र मिश्रण (33029011) और (v) अन्य मेंहदी पाउडर संशोधित फॉर्म-एफ¹ और निर्यात के लिए प्राप्त आदेशों की प्रति के साथ ऊपर पैरा 2.2 में बताए गए दस्तावेजों को जमा करने के अधीन है।

(3) शिनोअक डेकोर - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक भंडारण इकाई की स्थापना

3.1 आवेदक इकाई में भागीदार श्री कनव शिंगला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री शिंगला ने बताया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में उनकी पहले से ही दो इकाइयां हैं। अब, उन्होंने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क स्थापित किया है जो अपनी सामग्री को उनके प्रस्तावित गोदाम में संग्रहीत करने के इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्य रूप से फर्नीचर, बिजली की फिटिंग और अन्य संबंधित सजावटी वस्तुओं के लिए प्रस्ताव मिला है।

3.2 फॉर्म-एफ और आईटीसी (एचएस) कोड में प्रस्तावित उत्पाद फर्नीचर और सजावटी वस्तुओं से भी भिन्न हैं। इसके अलावा, आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं जिन्हें सुधार के लिए दिनांक 19/07/2023 के पत्र के माध्यम से आवेदक इकाई को सूचित कर दिया गया है:

- i. साझेदारी विलेख पंजीकृत ऑफ फर्म्स से पंजीकृत नहीं है।
- ii. आईटीसी(एचएस) कोड 94051090 मौजूद नहीं है।
- iii. परियोजना के समर्थन में निधि प्रवाह विवरण निर्धारित प्रारूप में दिया जाना आवश्यक है।
- iv. प्रस्तावित परियोजना के लिए अनुमानित लाभप्रदता विवरण नहीं दिया गया है।
- v. लागू पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को पूरा करने का वचन पत्र नहीं दिया गया है।
- vi. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत भागीदार के पक्ष में वकालतनामा /प्राधिकरण पत्र की प्रति।
- vii. क्या आयकर विभाग से किसी छूट का दावा किया जा रहा है? यदि हां, तो किस धारा के तहत ब्यौरा दें और क्या आयकर विभाग ने किसी भी समय छूट की अनुमति नहीं दी है?
- viii. क्या आयकर विभाग द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है? यदि हां, तो पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ix. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का मुद्दा उठाने वाली सहयोगी कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण, यदि कोई हो, नहीं दिया गया है।

सुरेंद्र प्रालिक

- x. यह देखा गया है कि इकाई का गठन 2021 में किया गया था। हालाँकि, इकाई द्वारा किए जा रहे मौजूदा व्यवसाय का कोई विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए, इकाई की वित्तीय स्थिति विवरण के साथ इसके संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।
- xi. आवेदक इकाई ने फॉर्म-एफ में विवरण की वस्तु का उल्लेख "धातु सजावट लेख" -आईटीसी (एचएस) कोड - 39269099 के रूप में किया है, जबकि सीबीआईसी के अनुसार इसे प्लास्टिक या नायलॉन टिप वाले हथौड़ों के रूप में दिखाया गया है; नायलॉन, एचडीपीई का इंसुलेटिंग लाइनर, जिसे इकाई द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- xii. आवेदक इकाई ने "सजावट लेख" के रूप में उल्लेख किया है - आईटीसी (एचएस) कोड-73269099। आवेदक इकाई को सजावट वस्तुओं का नामकरण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।
- xiii. आवेदक इकाई ने उल्लेख किया है कि स्वदेशी इनपुट सेवाओं का मूल्य 90.00 लाख रुपये है, जिसके लिए इकाई को सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के क्रम संख्या और विवरण के अनुसार स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उपरोक्त पैरा 3.2 में बताए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन "भंडारण गतिविधियों" के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी।

- संशोधित फॉर्म-एफ¹ में प्रस्तावित उत्पादों के सटीक/विशिष्ट विवरण के साथ उनके 8 अंकों वाले आईटीसी (एचएस) कोड का उल्लेख है।
- ग्राहकों का केवाईसी विवरण।

3.4 अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त के कार्यालय को आवेदक के उत्तर की जांच करने और फ़ाइल पर अंतिम अनुमोदन देने का भी अधिकार दिया। अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, यदि कोई हो:

(a) भंडारण की गतिविधियां केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) और निर्देश संख्या 49 और समय-समय पर वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए विषय पर अन्य प्रासंगिक निर्देशों/दिशानिर्देशों के दायरे और सीमा के अनुसार होंगी। इसमें इकाई द्वारा सभी लेनदेन केवल विदेशी मुद्रा में होंगे।

(b) किसी भी निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तु की अनुमति नहीं दी जाएगी। वि. व्या. म के अनुसार सभी निर्यात और आयात नीति की शर्तें पूरी की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त

